सच उजागर करती एक कहानी और अंतिम निर्णय

आर्य :रवि कुमार

अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां आज भी हिन्दू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहां भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था।

अयोध्या को भगवान श्रीराम के पूर्वज विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था, तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारतकाल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्रीराम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इन्द्रलोक से की है। धन-धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है।

कहते हैं कि भगवान श्रीराम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़-सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने एक बार पुन: राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा, महाराजा बृहद्बल तक अपने चरम पर रहा। कौशलराज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़-सी हो गई, मगर श्रीराम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा।

इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते-करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहां घना जंगल हो चला

था। कोई बसावट भी यहां नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी।

विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय-समय पर इस मंदिर की देख-रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा दो अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है।

इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। जिसे समय समय पर सोने की चिड़िया कहा गया है इस स्थान को अंतरराष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा-हियान ने यहां देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहां पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहां 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3,000 भिक्षु रहते थे और यहां हिन्दुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे।

उस समय ना तो किसी का अलग अलग धर्म था ना ही अलग अलग जाती व्यस्था. अर्थात हिन्दू - मुस्लिम - सिख - ईसाई आदि और जाती जैसे बहमन, गुर्जर , जाट , आदि .. ये कुछ भी नहीं होते थे ये सबकुछ हिन्दोस्तान के हिन्दुओ में में फूट डालने के लिए किया गया और उन्हें हिन्दू कहा जाने लगा फिर बाद में उन्हें हिन्दू धर्म का घोषित कर दिया गया और हिन्दुओ अज्ञानता के कारन ने मान भी लिया की हिन्दू कोई धर्म होता हैं. ठीक इसी तरह बहार से आये अकर्मणकारी लोगो को मुस्लिम जो की मुग़ल से निकला हुआ शब्द हैं से मुस्लिम धर्म बना दिया गया और बाद में एक कुरआन नाम की किताब भी कुछ लोगो ने बना दी ताकि उनके लोगो को पता चल सके की नियन क्या है ? जबकि इन सबसे पहले वेद हुआ करते थे और वेद के रास्तो पर चलना ही धर्म होता था.

इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए।

विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्रीराम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिन्दुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए।

इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे हिंदू भगवान श्रीराम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। आज हम आपको बता रहे हैं राम मंदिर मुद्दे से जुड़ी सभी खास बातें...

अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया।

कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्रीराम के जन्मस्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही।

बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे दो संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खासतौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, 'जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया।'

जब मस्जिद का निर्माण हुआ तो मंदिर को नष्ट कर दिया गया या बड़े पैमाने पर उसमे बदलाव किये गए। कई वर्षों बाद आधुनिक भारत में हिंदुओं ने फिर से राम जन्मभूमि पर दावे करने शुरु किये जबकि देश के मुसलमानों ने विवादित स्थल पर स्थित बाबरी

मस्जिद का बचाव करना शुरू किया।

अब बात तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की है , जिसका शासन होगा उसी की चलेगी आखिरकार 1528 से लेकर जब तक मुगलो का शासन रहा किसी ने भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई और आगे किसी ने चु की भी तो उसकी लाश का भी कही पता नहीं चला . कुछ आंदोलन हुए भी तो उनके परिवार सहित उनको रातोरात गायब करवा दिया. कुछ को तो सार्वजनिक रूप से मृत्यु दी गयी, उनकी बहु बेटियों के साथ या तो जबरन निकाह किया गया या कुछ को दासी बना दिया गया जो नहीं मानी उनको भी मौत के हवाले किया गया कईयों को तो हरम में और बहुतो को अनपे देश में ले जाकर 2 - 2 पैसो में बेचा गया और इस सभी बातों का किसी भी इतिहासकार की किताब में वर्णन नहीं मिलता , हलाकि आज़ाद भारत में कुछ किताबे भी छपी थी पर बाद में मुगलो की काली करतूतों को छुपाने के लिए उन किताबो को सरकार के द्वारा नष्ट करा दिया गया. उन किताबो के कुछ अंश आप ऑनलाइन देख सकते हो या किसी बुजुर्ग से सुन सकते हो .

अगर आपको दो दीनार का आर्टिकल पढ़ना हैं तो निचे लिंक से पढ़े और पढ़कर वापिस आये दोबारा शुरू करे...

1853: राम भूमि के कब्ज़े वाले केस में बड़े ही कमाल की बात थी की सबकुछ साबित होते हुए भी और सबको पता होते हुए भी हिन्दुओ को ये आरोप लगाने पड़े और साबित करना पड़ा की मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है उस समय अंग्रेजो की सरकार थी और उन्होने उनके सामने हाथ जोड़े फिर भी अगर

सही को सही मान लिया जाता तो उन देशद्रोहियो की मदद से कैसे अंग्रेज भारत पर शाशन कर पाते ? खैर छोड़ो.
इसके बाद अंग्रेजो ने ही मुस्लिमो का मनोबल और अधिक चढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर का उपयोग करने का आदेश दिया और हिन्दुओ के गुस्से को और अधिक बढ़ाने के लिए मंदिर के बाहर के चबूतरे जो की आज सीता रसोई और राम चबूतरा कहा जाता है के उपयोग का शाही फैसला सुना दिया, मेरे विचार से ये फैसला गलत था और यही से इस फसाद की शुरुआत हुई. तो ये गलती अंग्रेजो की गलती है जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं. दोनों समुदायों के बीच काफी हिंसा हुई जिसकी रिपोर्ट उस समय के मुख्या अखबारों में थी पता नहीं कोण-कोण लापता था ?

बाद में फिर यही बढ़ावा जनसँख्या विस्फोट का कारण बना, पहले इसके नाम पर ही भारत के टुकड़े किये गए और राज किया गया राजीव गाँधी और सोनिया गाँधी ने शासन किया, आज़ाद भारत के अधिकतर लोगो को ये पता ही न चला की वो मुस्लिम समुदाय के थे क्योकि उस समय सोशल मीडिया नहु हुआ करता था , वो अपनी पहचान छुपाने में कामयाब भी हुए बाद में वर्ष 2018 में उनका नकाब जब उतरा तो चुनावी समय के दौरान उनके चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ गिनी चुनी संख्या में लोग प्रचार कर रहे थे और वो लोग जहा भी जाते लोग उन्हें तिरस्कार की नज़रो से देखते थे. कही कही पर उन्हें जूतों की माला तक पहना दी गयी . यही कुछ हाल बाद में केजरीवाल सरकार में भी हुआ.

1858 : बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असग़र ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम-राम लिख दिया है शांति व्यवस्था क़ायम करने

के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी लेकिन मुख्य दरवाज़ा एक ही रहा. इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ़ से लगातार लिखित शिकायतें होती रहीं कि हिंदू वहाँ नमाज़ में बाधा डाल रहे हैं.

1859 : वर्ष 1858 तक कुछ अंग्रेजो ने दोनों समुदायों के आपसी तालमेल को देखते हुए की कही ये दोनों फिर से एक न हो जाय और अपना अपना धर्म भूलकर एक साथ मिलकर कुछ सामर्थ हासिल ने कर ले , को देखकर एक तारो की बाढ़ मंदिर की जमीन के आंतरिक और बाहर के परिसर के बीच खींच दी और सच को हिंसा के विचारो से ढाँख दिया, हिन्दुओ के बच्चे भी अब यही यकीन करने लगे की शायद यहाँ पर उनका आधा अधिकार ही हैं .

अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फ़ैज़ाबाद को अर्ज़ी देकर मंदिर बनाने की अनुमति माँगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्ज़ी नामंज़ूर हो गई. इसी बीच मई 1883 में मुंशी राम लाल और राममुरारी राय बहादुर का लाहौर निवासी कारिंदा गुरमुख सिंह पंजाबी वहाँ पत्थर वग़ैरह सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति माँगी, मगर डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ से पत्थर हटवा दिए.

1885 : कुछ सालों में ही मामला गहरा गया, वर्ष 1885 में यह मामला पहली बार जिला अदालत में पहुंचा जहा तमाम दलीलों के बाद (सबको पता होते हुए भी) बाबरी मस्जिद से लगे एक मंदिर के निर्माण के लिए इज़ाज़त मांगी. बड़े ही शर्म की बात थी जब ये किया गया , ये कुछ ऐसा ही था जैसे अपने घर की इज़्ज़त को गुंडों के हाथ से छुड़ाने के लिए आप उनसे ये कह रहो हो की सिर्फ दिन में हमे मिलने दो ... जैसा की हमे साउथ की फिल्मो में दिखता है ..

15 जनवरी, 1885 को महंत रघुबर दास फैजाबाद जिला अदालत में सब जज हरिकिशन की कोर्ट में पहुंचे. ये मामला नंबर 61/280 था. इस याचिका में महंत रघुबर दास ने दावा किया था कि वो जन्मस्थान अयोध्या के महंत हैं. याचिका में राम चबूतरे को जन्मस्थान बताया गया था और इस राम चबूतरा पर एक मंडप बनाने की मांग की. इस दावे में ये बात नहीं थी कि जहां मस्जिद है, वहां पहले कोई मंदिर थी. ये अयोध्या विवाद से जुड़ा हुआ पहला केस था.

हेमंत शर्मा की किताब 'युद्ध में अयोध्या' के मुताबिक 24 फरवरी, 1885 को फैजाबाद जिला अदालत के जज हरिकिशन ने महंत रघुबर दास की अर्जी खारिज़ कर दी. कोर्ट ने कहा कि वह जगह मस्जिद के बेहद करीब है, इसलिए झगड़ा हो सकता है. जज हरिकिशन ने माना कि चबूतरे पर हरिकिशन का कब्जा है, इसलिए एक दीवार उठाकर चबूतरे को अलग किया जा सकता है, लेकिन वहां पर मंदिर नहीं बन सकता है.

निर्मोही अखाड़े के महंत रघबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असग़र के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में पहला मुक़दमा **29 जन. 1885** को दायर किया. मुक़दमे में 17X21 फ़ीट लम्बे-चौड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति माँगी गई, ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पाएँ.

इसमें दावा किया गया कि वह इस ज़मीन के मालिक हैं और उनका मौक़े पर क़ब्ज़ा है. सरकारी वक़ील ने जवाब में कहा कि वादी को चबूतरे से हटाया नहीं गया है, इसलिए मुक़दमे का कोई कारण नहीं बनता. मोहम्मद असग़र ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार-बार मंदिर बनाने से रोक चुका है.

जज पंडित हरिकिशन ने मौक़ा मुआयना किया और पाया कि चबूतरे पर भगवान राम के चरण बने हैं और मूर्ति थी, जिनकी पूजा

होती थी. इसके पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पूजा और नमाज़ पढ़ते थे, यह दीवार झगड़ा रोकने के लिए खड़ी की गई. जज ने मस्जिद की दीवार के बाहर चबूतरे और ज़मीन पर हिंदू पक्ष का क़ब्ज़ा भी सही पाया.

इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद जज पंडित हारि किशन ने यह भी लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिलकुल अग़ल-बग़ल हैं, दोनों के रास्ते एक हैं और मंदिर बनेगा तो शंख, घंटे वग़ैरह बजेंगे, जिससे दोनों समुदायों के बीच झगड़े होंगे लोग मारे जाएँगे इसीलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी.

जज ने यह कहते हुए निर्मोही अखाड़ा के महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा.

इस तरह मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुक़दमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में हार गया

डिस्ट्रिक्ट जज चैमियर की कोर्ट में अपील दाख़िल हुई. मौक़ा मुआयना के बाद उन्होंने तीन महीने के अंदर फ़ैसला सुना दिया. फ़ैसले में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा, “हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूँकि यह घटना 356 साल पहले की है इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई है."

जज के मुताबिक़, “इसी चबूतरे को राम चंद्र का जन्मस्थान कहा जाता है.”

जज ने यह भी कहा कि मौजूदा हालत में बदलाव से कोई लाभ होने के बजाय नुक़सान ही होगा. चैमियर ने सब जज हरि किशन के जजमेंट का यह अंश अनावश्यक कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि चबूतरे पर पुराने समय से हिंदुओं का क़ब्ज़ा है और उसके स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं उठ सकता.

ख़ैर सरकार को गिरना थोड़े ही था , पर लोगो की हिंसा और उस समय के वर्चस्व को देखते हुए फैसले तो उसी स्थिति पर छोड़ दिया गया उसके बाद फिर आज़ाद भारत में कांग्रेस सरकार आयी पर फैसला तस से मस नहीं हुआ.

1934 फिर दंगे हुए और मस्जिद की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। : डॉ. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि 1933 से 34 तक पूरे अविभाजित भारत (आजादी से पहले का भारत) में होली, ईद और मुहर्रम के मौके पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इसके अलावा सालभर अलग-अलग मौकों पर दंगे होते रहे. होली में यूनाइटेड प्रोविंस (अब यूपी) के बनारस और कानपुर, पंजाब के लाहौर (अब पाकिस्तान में) और पेशावर में दंगे हुए. बकरीद के मौके पर अयोध्या में दंगे हुए. कहा जाता है कि अयोध्या के दंगे गोकशी के विरोध में हुए थे. इसके विरोध में बिहार के भागलपुर, ओडिशा (तब उड़ीसा) और मद्रास प्रोविंस (अब चेन्नई) के कन्नूर में दंगे हुए थे. डॉ. अंबेडकर की इस किताब में इस बात का विस्तृत वर्णन है कि 1920 से 1940 तक पूरे अविभाजित देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे.

डॉ. भीमराव अंबेडकर कि किताब 'Pakistan Or The Partition Of India' के अलावा उस समय की अंग्रेजी सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेजों में भी अयोध्या के दंगों की जिक्र है. हालांकि, डॉ. अंबेडकर कि किताब में सिर्फ अयोध्या के दंगों का जिक्र है, लेकिन उसमें बाबरी मस्जिद पर हुए हमले की कोई चर्चा नहीं है. जबकि, पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों में बाबरी मस्जिद पर हुए हमलों के बाद नुकसान का जिक्र है.
उस समय पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों में यह जिक्र है कि अंग्रेजी सरकार ने बाबरी मस्जिद के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई

थी. अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने पीडब्ल्यूडी की उस रिपोर्ट को भी रखा जिसमें यह बताया गया था कि 1934 के सांप्रदायिक दंगों में मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई थी. उस समय अंग्रेजों का शासन था और पीडब्ल्यूडी विभाग का काम भी अंग्रेज ही देखते थे. उन्हीं ने मस्जिद के चारों ओर की दीवार और गुंबदों की मरम्मत कराई थी.

अब मेरे विचार से ये उन्हें करना ही था क्योकि मुद्दा जब तक बना हैं लोग तब तक आपस में लड़ते रहेंगे और वो भारत के लोगो का फायदा हर तरह से उठाते रहेंगे. अंग्रेजो के शाशन में अंग्रेज सिपाही कई बार रात को आम लोगो के घरो में जबरन शरण लिया करते थे यहाँ तक की घर के सब मर्दो को उस समय घर के भरा भेज दिया जाता था और जो इंकार करता था उसका अंजाम बुरा होता था उस समय ये बाते आम थी और विद्रोहिओ के पर्चो में भी इस बात का जिक्र मिलता था की फलां आदमी के घर में ऐसा हुआ ..

1949 : भगवान् राम की मूर्तिया इस विवादित मस्जित में पायी गयी: भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गयीं. कथित रुप से कुछ हिंदूओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाईं थीं. मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया. सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया. देश आज़ाद होने के कुछ समय बाद जब हिम्मत आयी और देश विभाजित हो गया तो कुछ कहानियो के अनुसार महंतो ने अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए कुछ मूर्तिया चोरी से वहाँ रख दी और सुबह हुक्का पानी लेकर वहाँ पहुँच गए , मामला दूसरी तरफ भी गरम था इस पर विरोध व्यक्त करते हुए मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया । खूब कहासुनी हुई पर दंगे नहीं हुए और अगर तब भी अंग्रेज होते तो इस बात

को भी दंगो में बदलना उन्हें अच्छी तरह से आता था. पर ये मूर्ति रखने का विचार आज़ादी के तुरंत बाद नहीं आया नहीं तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता. " खाली दिमाग शैतान का घर " ख़ैर अब पहले की तरह लठो से पिटाई नहीं होती जैसा की अंग्रेजी शासन में होता था .

बाद में मुद्दे को देखते हुए इस स्थान को सरकार ने ताला लगा दिया गया.

इसी बीच समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया. मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के ख़िलाफ़ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया.

अयोध्या में मंदिर निर्माण इस चुनाव में अहम मुद्दा बन गया और बाबा राघव दास को समर्थन मिलने लगा. मुख्यमंत्री पंत ने अपने भाषणों में बार-बार कहा कि आचार्य नरेंद्र देव राम को नहीं मानते. समाजवाद के पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हार गए.

वक़्फ़ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में मस्जिद पर ख़तरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से सतर्क करते हैं. उन्होंने लिखा कि हिंदू वैरागी वहाँ मस्जिद के सामने तमाम कब्रों-मज़ारों को साफ़ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन मस्जिद पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं.

इंस्पेक्टर ने लिखा कि अब मस्जिद में केवल शुक्रवार की नमाज़ हो पाती है. हिंदुओं की भीड़ लाठी-फरसा वग़ैरह लेकर इकट्ठा हो रही है.

बाबा राघव दास की जीत से मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति माँगी. उत्तर प्रदेश सरकार के उप-सचिव केहर सिंह ने 20 जुलाई 1949 को फ़ैज़ाबाद डिप्टी कमिश्नर केके नायर से जल्दी से अनुकूल रिपोर्ट माँगते हुए पूछा कि वह ज़मीन नजूल की है या नगरपालिका की.

सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ मौक़े पर मस्जिद के बग़ल में एक छोटा-सा मंदिर है. इसे राम जन्मस्थान मानते हुए हिंदू समुदाय एक सुंदर और विशाल मंदिर बनाना चाहता है. सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफ़ारिश की कि यह नजूल की ज़मीन है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने में कोई रुकावट नहीं है.

वह संक्रांति काल था और कुछ ही दिनों में देश में नया संविधान लागू होने वाला था.

मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार सुबह की नमाज़ के लिए आए मगर प्रशासन ने उनसे कुछ दिन की मोहलत माँगकर उन्हें वापस कर दिया. कहा जाता है कि अभय राम की इस योजना को गुप्त रूप से कलेक्टर नायर का आशीर्वाद प्राप्त था. वह सुबह मौक़े पर आए तो भी अतिक्रमण हटवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि क़ब्ज़े को रिकॉर्ड पर लाकर पुख़्ता कर दिया.

सिपाही माता प्रसाद की सूचना पर अयोध्या कोतवाली के इंचार्ज रामदेव दुबे ने एक मुक़दमा क़ायम किया, जिसमें कहा गया कि पचास-साठ लोगों ने दीवार फाँदकर मस्जिद का ताला तोड़ा, मूर्तियाँ रखीं और जगह-जगह देवी-देवताओं के चित्र बना दिए. रपट में यह भी कहा गया कि इस तरह बलवा करके मस्जिद को अपवित्र कर दिया गया.

इसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया.

उधर दिल्ली में नाराज़ प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पंत को तार भेजकर कहा, "अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूँ. मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे. ख़तरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसके परिणाम बुरे होंगे."

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने कमिश्नर फ़ैज़ाबाद को लखनऊ बुलाकर डाँट लगाई और पूछा कि प्रशासन ने इस घटना को क्यों नहीं रोका और फिर सुबह मूर्तियाँ क्यों नहीं हटवाईं?

ज़िला मजिस्ट्रेट नायर ने इसका उल्लेख करते हुए चीफ़ सेक्रेटरी भवान सहाय को लंबा पत्र लिखा जिसमें कहा कि इस मुद्दे को व्यापक जन समर्थन है और प्रशासन के थोड़े से लोग उन्हें रोक नहीं सकते. अगर हिंदू नेताओं को गिरफ़्तार किया जाता तो हालात और ख़राब हो जाते.

बाग़ी तेवर में नायर ने लिखा कि वह और ज़िला पुलिस कप्तान मूर्ति हटाने से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और अगर सरकार किसी क़ीमत पर ऐसा करना ही चाहती है तो पहले उन्हें वहाँ से हटाकर दूसरा अफ़सर तैनात कर दे.

आरएसएस और हिंदू सभा के लोग सक्रिय रूप से क़ब्ज़े की कार्यवाही में सहयोग कर रहे थे. बाद में ये बात सामने आई कि ज़िला कलेक्टर नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह दोनों आरएसएस से जुड़े थे. नायर तो बाद में जनसंघ के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीते.

केंद्र और राज्य सरकार हस्तक्षेप करती उससे पहले ही क़ब्ज़े को पुख़्ता शक्ल देने के लिए अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय सिंह ने यह कहते हुए विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि

इमारत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्क कर लिया, उनका कहना था कि उस पर स्वामित्व और क़ब्ज़े को लेकर हिंदू-मुसलमानों में हो रहे झगड़े से शांति भंग हो सकती है. नगरपालिका चेयरमैन प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर उन्हें मूर्तियों की पूजा और भोग वग़ैरह की ज़िम्मेदारी दी गई.

इस सबसे दुखी प्रधानमंत्री नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को लखनऊ भेजा और मुख्यमंत्री पंत को कई पत्र लिखे. ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने खुद भी अयोध्या जाने की बात कही. उस समय देश विभाजन के बाद के दंगों, मारकाट और आबादी की अदला-बदली से उबर ही रहा था और पाकिस्तान के हमले से कश्मीर के हालात भी नाज़ुक थे.

पंत को लिखे पत्र में नेहरू ने चिंता प्रकट की कि अयोध्या में मस्जिद पर क़ब्ज़े की घटना का पूरे देश, विशेषकर कश्मीर पर बुरा असर पड़ेगा, जहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने भारत के साथ रहने का फ़ैसला किया था.

क़रीब-क़रीब लाचार नेहरू ने कहा कि गृह राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी बात नहीं सुनी जा रही और स्थानीय कांग्रेस नेता सांप्रदायिक होते जा रहे हैं.

फ़ैज़ाबाद में कांग्रेस के महामंत्री अक्षय ब्रह्मचारी इस घटना के विरोध में लंबे समय तक अनशन पर रहे और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री लालबहादुर शास्त्री को ज्ञापन दिया.

विधानसभा में भी मुद्दा उठा लेकिन सरकार ने एक लाइन का संक्षिप्त जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है इसलिए ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं.

16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में, सरकार, ज़हूर अहमद और अन्य मुसलमानों के खिलाफ़ मुक़दमा दायर कर कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित श्री

भगवान राम और अन्य मूर्तियों को हटाया न जाए और उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका न जाए.

सिविल जज ने उसी दिन यह स्थागनादेश जारी कर दिया, जिसे बाद में मामूली संशोधनों के साथ ज़िला जज और हाईकोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया.

स्थगनादेश को इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी गई जिससे फ़ाइल पाँच साल वहाँ पड़ी रही. नए जिला मजिस्ट्रेट जेएन उग्रा ने सिविल कोर्ट में अपने पहले जवाबी हलफ़नामे में कहा, "विवादित संपत्ति बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है और मुसलमान इसे लंबे समय से नमाज़ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं. इसे राम चन्द्र जी के मंदिर के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता था. 22 दिसंबर की रात वहाँ चोरी-छिपे और ग़लत तरीक़े से श्री रामचंद्र जी की मूर्तियाँ रख दी गई थीं."

कुछ दिनों बाद दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र परमहंस ने भी विशारद जैसा एक और सिविल केस दायर किया. परमहंस मूर्तियाँ रखने वालों में से एक थे और बाद में विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी. इस मुक़दमे में भी मूर्तियाँ न हटाने और पूजा जारी रखने का आदेश हुआ.

कई साल बाद 1989 में जब रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने स्वयं भगवान राम की मूर्ति को न्यायिक व्यक्ति क़रार देते हुए नया मुक़दमा दायर किया तब परमहंस ने अपना केस वापस कर लिया.

मूर्तियाँ रखने के क़रीब दस साल बाद 1951 में निर्मोही अखाड़े ने जन्मस्थान मंदिर के प्रबंधक के नाते तीसरा मुक़दमा दायर किया. इसमें राम मंदिर में पूजा और प्रबंध के अधिकार का दावा किया गया.

दो साल बाद 1961 में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड और नौ स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुक़दमा दायर हुआ इसमें न

केवल मस्जिद बल्कि अगल-बगल क़ब्रिस्तान की ज़मीनों पर भी स्वामित्व का दावा किया गया.

ज़िला कोर्ट इन चारों मुक़दमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने लगी. दो दशक से ज़्यादा समय तक यह एक सामान्य मुक़दमे की तरह चलता रहा और इसकी वजह से अयोध्या के स्थानीय हिंदू-मुसलमान अच्छे पड़ोसी की तरह रहते रहे. इतना ही नहीं, मुक़दमे के दोनों मुख्य पक्षकारों परमहंस और हाशिम अंसारी ने बताया था कि वे एक ही गाड़ी में हँसते-बतियाते कोर्ट जाते थे. बिना हिचक रात-बिरात एक दूसरे के घर आते-जाते थे.
दिगंबर अखाड़े में एक साथ दोनों का इंटरव्यू लिया था. अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं हैं.

25 मई 1950 को, दूसरा केस ज़ाहूर अहमद और अन्य लोगों के खिलाफ प्रेमहंस रामचंद्र दास द्वारा दायर किया गया था और यह पहले सूट के समान था। इस मुकदमे में मंदिर में मूर्ति रखे जाने की मांग और पूजा अर्चना जारी रखने की शिफारिश की गयी, साथ ही विवादित मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया.

1959 : नौ साल बाद, 17 दिसंबर, 1959 को को हमारे देश के

सारे महारथी पैदा हो चुके थे जो अब जाके जागे थे, तब निर्मोही

अखाडा ने रिसीवर से प्रबंधन संभालने के लिए तीसरा मुकदमा

दायर किया। निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील जैन के कहा कि रामजन्मभूमि का अंदरूनी हिस्सा सैकड़ों सालों से निर्मोही अखाड़े के अधिकार क्षेत्र में था.

इसके अलावा बाहरी हिस्से में मौजूद – सीता रसोई, चबूतरा और भंडार गृह भी अखाड़े के नियंत्रण में रहे हैं और ये कभी भी किसी भी केस में विवाद का हिस्सा नहीं रहा है

अयोध्या की 2.77 एकड़ ज़मीन विवादित है. निर्मोही अखाड़ा इस ज़मीन के प्रबंधन पर अपना पहला हक़ जताता है. निर्मोही अखाड़ा 14वीं शताब्दी में संत रामानंद ने शुरू किया था. निर्मोही माने बिना मोह के. निर्मोही अखाड़ा दावा करता है कि वो 7 सदियों से राम की पूजा करते हैं. इसलिए बतौर सेवादार उनका हक़ सबसे पहला है **अयोध्या मामले में निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज सौंपे थे. निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील**

में कहा था कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है. हम रामलला के सेवायत हैं. ये हमारे अधिकार में सदियों से रहा है.

निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलील में कहा था कि हमें ही रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए. चूंकि वक्फ बोर्ड का विवादित भूमि पर लंबे समय से अधिकार रहा है, इसकी तस्दीक हिंदुओं समेत सभी **पक्षकार कोर्ट में भी कर चुके हैं. ऐसे में कोर्ट निर्देश दे कि वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के आदेश वाली अपने हिस्से की जमीन लीज पर हमें दे, ताकि हम मंदिर बना सकें. निर्मोही अखाड़े की दलील के मुताबिक कोर्ट चाहे तो यूपी सरकार को निर्देश देकर अयोध्या के अधिग्रहित भूमि के बाहरी इलाके में वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए समुचित जगह दिला दे.**

में उस अखाड़े वालो से पूछना चाहता हु की क्या मुगलो के समय भी वो वहीं थे और जब अंग्रेज वहाँ पर शासननित थे तब भी क्या वो वहाँ पूजा कर रहे थे ? अगर हाँ तो अब तक क्या किसी न उन्हें वहाँ नहीं देखा ?

हालांकि वर्ष 1940 से पहले मुसलमान इस मस्जिद को मस्जिद-ए-जन्मस्थान कहते थे, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1947- भारत सरकार ने मुस लमानों के विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा परन्तु सिर्फ आजादी के बाद से.।

1961 : 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना

हक़ के लिए मुक़दमा दायर किया (सब कोर्ट में जा रहे है तो हम क्यों पीछे रहे ?)

इसके बाद साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की. इसके बाद से यह मामला कोर्ट में उलझा हुआ है.

इमरजेंसी के बाद 1977 में जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन इनकी आपसी फूट से सरकार तीन साल भी नहीं पूरे नहीं कर पाई. इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आ गईं. संघ परिवार ने मंथन शुरू किया कि अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट करें? हिंदुओं के तीन सबसे प्रमुख आराध्य-- राम, कृष्ण और शिव से जुड़े स्थानों अयोध्या,

मथुरा और काशी की मस्जिदों को केंद्र बनाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनी.

7-8 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन कर तीनों धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया. चूँकि काशी और मथुरा में स्थानीय समझौते से मस्जिद से सटकर मंदिर बन चुके हैं इसलिए पहले अयोध्या पर फ़ोकस करने का निर्णय किया गया.

वर्ष 1984- विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का एक अभियान शिरू किया कि हमें दोबारा इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमान वापस चाहिए।

निर्मोही अखाड़ा ने इसके बाद अवध के जुडिशियल कमिश्नर डब्लू यंग की अदालत में दूसरी अपील की. जुडिशियल कमिश्नर यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने जजमेंट में लिखा कि "अत्याचारी बाबर ने साढ़े तीन सौ साल पहले जान-बूझकर ऐसे पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्मस्थान मानते हैं. इस समय हिंदुओं को वहाँ जाने का सीमित अधिकार मिला है और

वे सीता-रसोई और रामचंद्र की जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं".
जजमेंट में यह भी कह दिया गया कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हिंदू पक्ष का किसी तरह का स्वामित्व दिखे.
इन तीनों अदालतों ने अपने फ़ैसले में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया लेकिन अपने फ़ैसले का आधार रिकार्ड पर उपलब्ध सबूतों को बनाया और शांति व्यवस्था की तत्कालीन ज़रूरत पर ज़्यादा ध्यान दिया

वर्ष 1989- इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। सांप्रदायिक ज्वाला तब भड़की जब विवादित स्थल पर स्थित मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। जब भारत सरकार के आदेश के अनुसार इस स्थल पर नये मंदिर का निर्माण सुरु हुआ तब मुसलमानों के विरोध ने सामुदायिक गुस्से का रुप लेना शरु किया।

दिसंबर 1992 में फिर कल्याण सरकार और विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि सांकेतिक कारसेवा में मस्जिद को क्षति नहीं होगी.
कल्याण सिंह ने पुलिस को बल प्रयोग न करने की हिदायत दी. कल्याण सिंह ने स्थानीय प्रशासन को केंद्रीय बलों की सहायता भी नहीं लेने दी. उसके बाद छह दिसंबर को जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो चुका है. आडवाणी, जोशी और सिंघल जैसे शीर्ष नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्ज़र्वर ज़िला जज तेजशंकर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लाखों कारसेवकों ने छह दिसंबर को मस्जिद की एक-एक ईंट उखाड़कर मलवे के ऊपर एक अस्थायी मंदिर बना दिया.

वहाँ पहले की तरह रिसीवर की देखरेख में दूर से दर्शन-पूजन शुरु हो गया. मुसलमानों ने केंद्र सरकार पर मिलीभगत और निष्क्रियता का आरोप लगाया पर प्रधानमंत्री ने सफ़ाई दी कि संविधान के अनुसार शांति व्यवस्था राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने क़ानून के दायरे में रहकर जो हो सकता है किया. उन्होंने मस्जिद के पुनर्निर्माण का भरोसा भी दिया.

मस्जिद ध्वस्त होने के कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट ने कल्याण सरकार की ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई को ग़ैरक़ानूनी क़रार दे दिया. .

जनवरी 1993 में केंद्र सरकार ने मसले के स्थायी समाधान के लिए संसद से क़ानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहीत कर लिया.

हाईकोर्ट में चल रहे मुक़दमे समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट से राय माँगी गई कि क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण कोई पुराना हिंदू मंदिर तोड़कर किया गया था यानी विवाद को इसी भूमि तक सीमित कर दिया गया.

इस क़ानून की मंशा थी कि कोर्ट जिसके पक्ष में फ़ैसला देगी उसे अपना धर्म स्थान बनाने के लिए मुख्य परिसर दिया जाएगा और थोड़ा हटकर दूसरे पक्ष को ज़मीन दी जाएगी. दोनों धर्म स्थलों के लिए अलग ट्रस्ट बनेंगे. यात्री सुविधाओं का भी निर्माण होगा. फ़ैज़ाबाद के कमिश्नर को केंद्र सरकार की ओर से रिसीवर नियुक्त किया गया.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या वहाँ मस्जिद से पहले कोई हिंदू मंदिर था. जजमेंट में कहा गया कि अदालत इस तथ्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रहे मुक़दमों को भी बहाल कर दिया, जिससे दोनों पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से विवाद निबटा सकें.

हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाई जिसमें काफ़ी समय लगा. रिपोर्ट में कहा गया कि नीचे कुछ ऐसे निर्माण मिले हैं जो उत्तर भारत के मंदिरों जैसे हैं. इसके आधार पर हिंदू पक्ष ने नीचे पुराना राम मंदिर होने का दावा किया, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इस निष्कर्ष को ग़लत बताया.

लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेज़ी सबूतों के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया. तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों जजों ने यह माना कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म मस्जिद के बीच वाले गुंबद वाली ज़मीन पर हुआ होगा. लेकिन ज़मीन पर मालिकाना हक़ के बारे में किसी के पास पुख़्ता सबूत नहीं थे.
दीर्घकालीन क़ब्ज़े के आधार पर भगवान राम, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के बीच तीन हिस्सों में बाँट दिया. इसे एक पंचायती फ़ैसला भी कहा गया, जिसे सभी पक्षकारों ने नकार दिया.
अब क़रीब एक दशक बाद सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय देना है. अदालती विवाद अब महज़ आधा बिस्वा या लगभग 1500 वर्ग-गज ज़मीन का है जिस पर विवादित बाबरी मस्जिद ज़मीन खड़ी थी. लेकिन धर्म, इतिहास, आस्था और राजनीति के घालमेल ने इसे इतना जटिल और संवेदनशील बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फ़ैसला न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया और उससे बाहर भी असर डालेगा.

यह भी देखना होगा कि क्या अदालत इतिहास में हुई ग़लतियों या ज़्यादती को सुधार सकती है या वह वर्तमान क़ानूनों की परिधि में ही रहकर निर्णय दे सकती है.

वर्ष 2003- उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरात्तव विभाग ने विवादित स्थल पर 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 तक खुदाई की जिसमें एक प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिले। वर्ष 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायल की लखनऊ बेंच में 574 पेज की नक्शों और समस्त साक्ष्यों सहित एक रिपोर्ट पेश की गयी। भारतीय पुरात्तव विभाग के अनुसार खुदाई में मिले भग्वशेषों के मुताबिक विवादित स्थल पर एक प्रचीन उत्तर भारतीय मंदिर के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। विवादित स्थल पर 50X30 के ढांचे का मंदिर के प्रमाण मिले हैं।

अप्रैल 2004: आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राममंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण ज़रूर किया जाएगा.

जुलाई 2004: शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए.

वर्ष 2005- 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकियों ने अयोध्या के रामलला मंदिर पर हमला किया। इस हमले का मौके पर मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने वीरतापूर्वक जवाब दिया और पांचों आतंकियों को मार गिराया।

06 जुलाई 2005 : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान 'भड़काऊ भाषण' देने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया. इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था.

28 जुलाई 2005 : लालकृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में गुरूवार को रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए. अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी के ख़िलाफ़ आरोप तय किए.

04 अगस्त 2005: फ़ैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल चार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा. आयोग ने 17 सालों बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

20 अप्रैल 2006 : कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार ने लिब्रहान आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल और शिव सेना की 'मिलीभगत' थी.

जुलाई 2006 : सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थाई राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ़ काँच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया. इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के ख़िलाफ़ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे.

19 मार्च 2007 : कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू-गाँधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती. उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई.

30 जून 2009: बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जाँच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी.

सात जुलाई, 2009: उत्तरप्रदेश सरकार ने एक हलफ़नामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फ़ाइलें सचिवालय से ग़ायब हो गई हैं.

24 नवंबर, 2009: लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश. आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी.

20 मई, 2010: बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में ख़ारिज.
26 जुलाई, 2010: रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी.

उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. फ़ैसला सितंबर के आख़िरी सप्ताह में सुनाए जाने की उम्मीद है.
सोमवार शाम सात बजे तक अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.
वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला जो भी हो, इसे कोई न कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चुनौती देगा.
एक धार्मिक स्थल के स्वामित्व को लेकर लड़ा जा रहा यह मुक़दमा हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबा और राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाला रहा है.
इसकी शुरुआत 22-23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखे जाने से हुई थी. कई सालों तक ये मुक़दमा फ़ैज़ाबाद ज़िला अदालत में चलता रहा.
1989 में इसे हाई कोर्ट ने सीधे अपनी सुनवाई में ले लिया और तीन जजों की एक बेंच 21 साल से सुनवाई कर रही थी.इस बीच कई जज रिटायर हो गए या उनके तबादले हो गए.
गवाही
अपने दावे के पक्ष में हिंदुओं ने 54 और मुस्लिम पक्ष ने 34 गवाह पेश किए. इनमे धार्मिक विद्वान, इतिहासकार और पुरातत्व जानकार शामिल हैं.

मुस्लिम पक्ष ने अपने समर्थन में 12 हिंदुओं को भी गवाह के तौर पर पेश किया. दोनों पक्षों ने लगभग 15 हज़ार पेज दस्तावेज़ी सबूत पेश किए. कई पुस्तकें भी अदालत में पेश की गईं.
इस विवाद ने भारत में कई बार राजनीतिक उथल पुथल मचाई. छह दिसंबर 1992 को विवादित मस्जिद गिरा दी गई, जिसका आपराधिक मुक़दमा अलग से चल रहा है.
माना जाता है कि अदालत जो भी फैसला दे उसे लागू करना एक बहुत मुश्किल काम होगा , क्योंकि दोनों पक्षों की भावनाएं इस स्थान से जुडी हुई हैं.
विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में अयोध्या में बैठक करके 16 अगस्त से इस मामले पर देशभर में जन जागरण आंदोलन का ऐलान कर दिया है. समझा जाता है कि हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले विश्व हिंदू परिषद इस मामले को फिर से गरमाना चाहती है.
8 सितंबर, 2010: अदालत ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फ़ैसला सुनाने की घोषणा की.

9 सितंबर 2010

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की 17 वीं बरसी को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
हर साल छह दिसंबर को राजनीतिक दल और अन्य संगठन इस मौके पर जुलूस निकालते थे और अन्य कार्यक्रम आयोजित करते थे लेकिन इस साल प्रशासन ने इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है.
एहतियाती तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है.

17 साल पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी और सैंकड़ों लोग मारे गए थे. बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की जाँच के लिए गठित लिबरहान आयोग की रिपोर्ट इसी साल आई है जिसमें उस घटना के लिए विभिन्न हिंदू संगठनों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं समेत कई अन्य कारणों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है.
इस रिपोर्ट के विरोध को देखते हुए भी इस बार विशेष एहतियात बरती जा रही है.
अयोध्या में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाए गए हैं और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है. ज़िले में पाँच हज़ार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.
इस बीच चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना पर कोई अफ़सोस नहीं है.
उन्होंने कहा, "हम सभी चाहते हैं कि वहां राम मंदिर बने. संघ मंदिर मुद्दे से जुड़ा रहेगा."

17 सितंबर, 2010: हाईकोर्ट ने फ़ैसला टालने की अर्जी ख़ारिज की.
वर्ष 2010- 24 सितंबर 2010 को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। फैसले के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को टालने के लिए की यगयी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 28 सितंबर तक के लिए टाल दिया।

2010: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा दिया गया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला।

9 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

2017: सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद गिराने के लिए उकसाने वाले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित सात नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया

2017: सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई।

आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार नई तारीखें दे चुका है। आगामी 29 अक्टूबर से एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी। अयोध्या मामले में कुल 19 हजार दस्तावेज हैं। इन तमाम दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। साथ ही अदालती बहस की कॉपी (प्लीडिंग) पेश की गई है। दीवानी मामले की सुनवाई में ये दस्तावेज और प्लीडिंग अहम होते हैं। जब मामले की सुनवाई शुरु होगी तो एक-एक पक्षकार अपना पक्ष रखना शुरु करेंगे। इस दौरान मुस्लिम पक्षकारों का स्टैंड भी अहम होगा क्योंकि पिछले साल 5 दिसंबर को जब सुनवाई शुरु हुई थी, तब उनकी ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने ये दलील दी थी कि ये आम जमीन विवाद नहीं बल्कि बेहद अहम मामला है और भारतीय राजनीति पर असर रखता है। बीजेपी के घोषणापत्र में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की बात है।

OCT 2019: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या विवाद (Ayodhya Verdict) मामले में आज फैसला सुनायेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi), जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ , जस्टिस अशोक भूषण और

जस्टिस एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच शनिवार की सुबह साढ़े दस बजे यह फैसला सुनाएगी. बेंच ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी. पीठ ने छह अगस्त से लगातार 40 दिन इस मामले में सुनवाई की थी.

अयोध्या विवाद (Ayodhya Case) के फैसले के मद्देनज़र शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई. राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं. अब वहां से सिर्फ़ पैदल गुज़रा जा सकेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाने और लखनऊ और अयोध्या में दो हेलीकॉप्टर तैयार रखने के आदेश दिए हैं. पूरे यूपी में पुलिस दंगों से निपटने के लिए रिहर्सल कर रही है. टेंपरेरी जेलें बना दी गई हैं. वहां जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार लोगों को रखा जा सकेगा.

अयोध्या में नाकेबंदी और सख़्त हो गई है. झगड़े वाली जगह के चारों तरफ 67 एकड़ जमीन पहले से केन्द्र सरकार के कब्ज़े और सेंट्रल फोर्सस की निगरानी में हैं. अब उसकी तरफ जाने वाले रास्तों को गाड़ियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. इसके साथ पूरे अयोध्या में पुलिस जनता के बीच जाकर उन्हें समझाने और हिफ़ाज़त का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है.

अयोध्या मामले के फैसले से पहले मध्यप्रदेश पुलिस सतर्क, कई जिलों में धारा 144 लागू

अयोध्या के सारे प्रमुख मंदिरों के आसपास बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी लगा दी गई. जिन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, मंदिर निर्माण कार्यशाला राम की पैड़ी, कारसेवक पुरम, सरयू घाट वगैरह शामिल हैं. लेकिन प्रशासन का कहना है की वहां सुरक्षा पूरी रहेगी लेकिन ज़िंदगी अपनी रफ़्तार से चलेगी. स्कूल, कॉलेज, बाजार सब खुलेंगे और कोई पाबंदी नहीं रहेगी. अयोध्या

के जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा, 'शादी-ब्याह का सीजन है. जैसा तय किया है वैसा ही रहेगा. कहीं कोई समस्या आती है तो हम तुरंत समन्वय स्थापित करेंगे. सबके पास हमारे नंबर बंटे हैं. जो भी अप्रोच करेगा, उसकी समस्या का हम समाधान करेंगे. ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सारे कार्यक्रम सामन्य ढंग से चलते रहें.'

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे और पांच सौ साल से अधिक पुराने देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करते हुए विवादित भूमि न्यास को सौंपने का आदेश दिया। साथ सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किया जाए।

खचाखच भरे कोर्टरूम नंबर-1 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद करीब 45 मिनट में पूरे फैसले को पढ़ा। अदालत ने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना करे और विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दे जिसके प्रति हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम का जन्म वहीं पर हुआ था। अदालत ने यह भी कहा कि अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रदान करे।

पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने 1045 पन्नों के फैसले में कहा कि अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद का निर्माण भी किसी प्रतिष्ठित जगह (prominent site) पर ही होना चाहिए। पीठ ने कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला की मूर्ति को सौंप दिया जाए, हालांकि

इसका कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास ही रहेगा। बता दें कि देश के इस सबसे पुराने विवाद ने सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना। यही नहीं अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित भूमि (Ram Janmabhoomi) को तीन पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक बताया। अदालत ने कहा कि विवादित स्थल पर रामलला के जन्म के पर्याप्त साक्ष्य हैं और अयोध्या में भगवान राम का जन्म हदुओं की आस्था का मामला है और इस पर कोई विवाद नहीं है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हिंदू यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित ढांचे के बाहरी बरामदे पर उनका कब्जा था। सुन्नी वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश मामले में अपना दावा साबित करने में विफल रहा है। यही नहीं अदालत ने निर्मोही अखाड़ा को भी झटका दिया। अदालत ने कहा कि अखाड़ा राम लला की मूर्ति का उपासक या सेवादार नहीं है। निर्मोही अखाड़े का दावा कानूनी समय सीमा के तहत प्रतिबंधित है।

संविधान पीठ ने यह माना कि विवादित स्थल के बाहरी बरामदे में हिंदू पूजा अर्चना करते रहे हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि मस्जिद में शुक्रवार को मुस्लिम नमाज भी पढ़ते थे। मस्जिद में नमाज पढ़ने में बाधा पैदा होने के बावजूद सबूत इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि वहां नमाज पढ़ना बंद नहीं हुआ था। अदालत ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे मिली संरचना इस्लामिक नहीं थी। हालांकि

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद निर्माण के लिए मंदिर गिराया गया था।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण के साक्ष्यों को महज राय बताना इसका अन्याय होगा। हिंदू विवादित स्थल को ही भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। यही नहीं मुस्लिम भी इस जगह के बारे में यही राय रखते हैं। विवादित ढांचे में ही भगवान राम का जन्म होने के बारे में हिंदुओं की आस्था अविवादित है। यही नहीं सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी भी इस स्थान के एक धार्मिक स्थल होने की गवाही देती है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि केवल आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक स्थापित नहीं किया जा सकता है।

फैसला आने के बाद रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि अयोध्या का फैसला लोगों की जीत है। वहीं सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जीलानी ने फैसले में विरोधाभास का जिक्र किया। हालांकि, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हैं। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए अपील नहीं करेगा और न ही कोई उपचारात्मक याचिका दायर करेगा। दूसरी ओर, निर्मोही अखाड़े ने कहा कि उसका दावा खारिज किये जाने का उसे कोई मलाल नहीं है।

फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी समुदायों से फैसला स्वीकारने और शांति बनाये रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के लोग 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रति प्रतिबद्ध रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक ताने बाने को और

मजबूती देगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वह फैसले का सम्मान करती है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसके पक्ष में है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रवीण तोगडिया ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए राम लला को स्थान दिया जाना लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग का सम्मान है।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

इन सबके बाद भी देश में न जाने और कितने ही मुद्दे है जिनपर अभी बहस होनी हैं , ख़ैर छोड़ो अब इस किताब को आगे करके सच्चाई जानने और बताने की जिम्मेदारी आपकी है . आप भी इसको दुसरो को भेजो . और भारत को आगे विकसित करने में सहयोग करे. अंधविश्वास को न माने. खुद पर विशवास रखे.

ये किताब विश्वनीय आर्टिकल्स से चाटकर बनायीं है. और सच्चाई को प्रदर्शित करती हैं.

END..